

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना  
नई दिल्ली - 05 दिसम्बर, 2018

नियमावली

संख्या. 45013/46/2015/कार्मिक.1- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्ति वर्ष 2019 में सहायक कमाण्डेंट के पदों को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की नियमावली सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:-

1. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबद्ध उम्मीदवारों की रिक्तियों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा नियत किया जाएगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन इस नियमावली के परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा।

3. 01 जनवरी, 2019 को अभ्यर्थी की, प्रशिक्षण अवधि सहित, उपनिरीक्षक(जीडी)/ निरीक्षक(जीडी) रैंक में 04 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होनी चाहिए। अभ्यर्थी की सेवा लेखा नियुक्ति पत्र जारी होने तक निष्कलक होना चाहिए।

4. उम्मीदवार की आयु 01 अगस्त, 2019 को 35 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। अर्थात् उसका जन्म 02 अगस्त, 1984 से पहले न हुआ हो। हलांकि उपर्युक्त निर्धारित उपरी आयु सीमा का जहां तक संबंध है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी को 05 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

5. प्रत्येक अभ्यर्थी जो एल.डी.सी.ई. (ए.सी.) में भाग लेने का पात्र है, उसे कुल 03 (तीन) मौके दिए जाएंगे।

6. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की होनी चाहिए।

7. एनसीसी 'बी' अथवा 'सी' प्रमाणपत्र होना एक वांछनीय अर्हता है । इन वांछनीय अर्हताओं पर विचार केवल साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के समय किया जाएगा ।

8. नियमावली के परिशिष्ट -II में विनिर्दिष्ट कैओसुब 2019 में सहायक कर्माँडेन्ट (कार्यकारी) के चयन हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित शारीरिक तथा चिकित्सीय मानक पूरे करने होंगे ।

9. गृह मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में परीक्षा के नियमों की सूची जारी होने और आयोग द्वारा परीक्षा की अधिसूचना जारी होने के बाद अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग की वेब साइट पर ऑन लाइन आवेदन भरेगा तथा उसकी एक प्रति (हार्ड कॉपी) उचित माध्यम से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राधिकारियों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा जिसे आगे आयोग को भेजा जाएगा । निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए आवेदनों की जांच केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी । हालांकि परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा उसकी पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

10. परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं चिकित्सीय मानक परीक्षा अथवा व्यक्तित्व/साक्षात्कार परीक्षा में उनका प्रवेश पूर्णतः अंतिम होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा । यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं चिकित्सीय मानक परीक्षाओं या व्यक्तित्व/साक्षात्कार परीक्षा के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता शर्तों में से कोई पूरी नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

11. इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश प्रमाण-पत्र परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पहले संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा जिसे पात्र उम्मीदवारों द्वारा डाऊनलोड किया जा सकता है । पेपर वाला कोई ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाएगा । जब तक उम्मीदवार के पास डाऊनलोड किया हुआ ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं होगा तब तक उन्हें परीक्षा में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा ।

12. जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नलिखित कदाचार का दोषी है या जिसे दोषी घोषित किया जा चुका है:-

- (i) निम्नलिखित माध्यमों से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त कराना जैसे :
  - (क) अवैध परितोषण देना, या
  - (ख) किसी पर दबाव डालना, या
  - (ग) परीक्षा के संचालन से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना या ब्लैकमेल करने की धमकी देना ।
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या

- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली दस्तावेज या फेर-बदल किए दस्तावेज प्रस्तुत करना, या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित उपाय अपनाना, जैसे
  - (क) अनुचित साधनों से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना, या
  - (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य के संबंध में व्यक्तियों के विवरण ढूंढना, किसी पर दबाव डालना, या
  - (ग) परीक्षकों पर प्रभाव डालना, अथवा
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर अश्लील बातें लिखना या अश्लील आरेख बनाना, अथवा परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (ix) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने को उकसाना, उपद्रवी दृश्य उत्पन्न करना तथा इसी प्रकार से अन्य बातें शामिल हैं, अथवा
- (x) परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा नियुक्त स्टाफ को परेशान करना या शारीरिक क्षति पहुंचाना, अथवा
- (xi) परीक्षा के दौरान कोई सेल्यूलर/मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
- (xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किए गए किसी अनुदेश का उल्लंघन करना या,
- (xiii) उपर खण्डों में उल्लेखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने लिए उकसाना । तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन) चलाए जा सकने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उसके साथ ही उसे:
  - (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा
  - (ख) उसे स्थायी रूप अथवा एक विशेष अवधि के लिए बाहर किया जा सकता है।
  - (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए ।

- (ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन सी नौकरी से विवर्जित तथा उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

बशर्ते कि इन नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता :

- (i) उम्मीदवार को इस सम्बंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो ।

13(1) जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा उनके विवेकाधिकार से निर्धारित किए गए ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें के.ओ.सु.ब द्वारा शारीरिक मानदण्ड /शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सीय मानदण्ड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा जिससे यह जांच हो सके कि क्या वे इस नियमावली के परिशिष्ट-11 में विनिर्दिष्ट शारीरिक और चिकित्सीय मानदण्डों को पूरा करते हैं ।

13(2) किसी भी स्तर पर किसी अथवा सभी प्रश्नपत्रों में न्यूनतम अर्हक मानदंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार आयोग के पास है तथा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के औपचारिक प्रश्न पत्रों जिसमें उन्होंने आयोग के विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में न्यूनतम अर्हक मानदंड प्राप्त किए हो, मूल्यांकन करने का अधिकार आयोग के पास है ।

13(3) परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मानकों में छूट प्रदान करते हुए शारीरिक मानदंड/शारीरिक क्षमता तथा चिकित्सा मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाए यदि आयोग को ऐसा लगे कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए लिखित परीक्षा में सामान्य मानकों के आधार पर शारीरिक मानक/शारीरिक क्षमता परीक्षा तथा चिकित्सा मानक परीक्षाओं के लिए इन श्रेणियों से आवेदकों की पर्याप्त संख्या मिलने की संभावना नहीं है ।

13(4) वे उम्मीदवार जो इस नियमावली के परिशिष्ट-11 विनिर्धारित शारीरिक मानदण्डों को पूरा करते हैं उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.) किया जाएगा जिसे नीचे दर्शाया गया है :-

शारीरिक दक्षता परीक्षण(पी.ई.टी.)

		पुरुष	महिला
(क)	100 मीटर दौड़	16 सैकण्ड में	18 सैकण्ड में
(ख)	800 मीटर दौड़	3 मिनट 45 सैकण्ड में	4 मिनट 45 सैकण्ड में
(ग)	लम्बी कूद	3.5 मीटर (3 अवसर)	3 मीटर (3 अवसर)
(ड)	गोला फेंकना(शॉट पुट) (7.26 किलो)	4.50 मीटर	--

ये परीक्षण केवल अर्हता प्रकृति के होंगे और इनके कोई अंक नहीं होंगे । इन परीक्षणों में से किसी भी परीक्षण में असफलता अयोग्यता होगी ।

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) के समय गर्भावस्था एक अयोग्यता होगी और गर्भवती महिला उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

13(5) जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हक घोषित किए गए जाते हैं केवल उन उम्मीदवार का ही चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि वे इस नियमावली के परिशिष्ट-11 में निर्धारित चिकित्सा मानदंडों को पूरा करते हैं । उम्मीदवार को चिकित्सा मानदण्ड में "योग्य" या "अयोग्य" घोषित किया जायेगा। जो उम्मीदवार चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में "अयोग्य" घोषित किये जाते हैं उन्हें अपील करने पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा "समीक्षा चिकित्सा बोर्ड " के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

13(6) शारीरिक मानदंड/शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) एवं चिकित्सा मानदंड परीक्षण का संचालन के.ओ.सुब के पर्यवेक्षण में होगा । ये परीक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे जिन्हें लिखित परीक्षा परिणाम के बाद अधिसूचित किया जाएगा ।

13(7) केवल चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों के विरुद्ध अपील स्वीकार की जाएगी जो इन परीक्षणों के परिणाम घोषित होने के 15 दिन की अवधि के अंदर गृह मंत्रालय द्वारा नामोदिष्ट अपीलीय प्राधिकारी को की जानी चाहिए ।

13(8) जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में अर्हक घोषित किया जाता है उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा । वे उम्मीदवार जो चिकित्सीय आधार पर अयोग्य घोषित किए जाते हैं किन्तु उन्हें उनकी अपील के आधार पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा "समीक्षा चिकित्सा बोर्ड" के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है । उन्हें साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अनंतिम रूप से बुलाया जाएगा । साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 200 अंकों का होगा ।

13(9) साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण सक्षम तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा जिनके सक्षम उम्मीदवारों के जीवन-वृत्त का रिकार्ड होगा । उम्मीदवार से प्रश्न उनके संबंधित क्षेत्र के साथ-साथ सामान्य अभिरूचि के विषयों से पूछे जाएंगे ताकि उनका/उनकी जानकारी और समझ की जांच हो सके । विस्तृत अर्थों में यह न केवल उनकी मानसिक योग्यता बल्कि उनके सामाजिक गुणों और चरित्र की सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन होगा । बोर्ड विस्तृत रूप से अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवार का निम्नलिखित मूल्यांकन करेगा:

- (i) शारीरिक बनावट
  - (क) आकृति
  - (ख) आचरण
  - (ग) शिष्टाचार एवं शिष्टता

- (ii) सामान्य बुद्धिमत्ता, अभिरूचि एवं रूचि
- (क) तथ्यों एवं स्थितियों को समझने उनका विश्लेषण करने तथा उनको प्रस्तुत करने की योग्यता ।
  - (ख) अभिरूचि से संबंधित कार्य जैसे अनुशासन, सहानुभूति आदि
  - (ग) पाठ्योत्तर गतिविधियां - खेलों, खेल-कूद वाद-विवादों आदि में भागीदारी ।
- (iii) मनोवृत्ति
- (क) नेतृत्व, संचालन, संकल्प, शीघ्र निर्णय लेना आदि
  - (ख) आत्म निर्भरता
  - (ग) तनाव एवं संकट का सामना करने की योग्यता
  - (घ) साहस-नैतिक एवं शारीरिक
- (iv) व्यक्तित्व का व्यवहारिक पहलू
- (क) उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अंतःव्यक्तिक संबंध
  - (ख) मूल्यों, सत्यनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अभिमुखीकरण के प्रति वचनबद्धता

13(10) ऐसे उम्मीदवार जो शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षणों या चिकित्सा मानदण्डों परीक्षणों में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

14(1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से प्रदान किए गये कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और तत्पश्चात् आयोग अनारक्षित पदों पर उम्मीदवारों की अनुशंसा हेतु परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों के संदर्भ में अर्हक अंक निर्धारित करेगा ।

14(2) आरक्षित रिक्तियों पर अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अनुशंसित करने के उद्देश्य से परीक्षा के आधार पर इन प्रत्येक वर्गों के लिए भरे जाने वाली आरक्षित रिक्तियों के संदर्भ में आयोग अर्हक मानक में छूट दे सकता है ।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के किसी भी स्तर पर पात्रता या चयन मानदंड में किसी भी प्रकार की रियायत या छूट का उपभोग नहीं किया है तथा वे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानक के आधार पर अनुशंसा के लिए योग्य पाए गए हैं को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा।

और बशर्ते कि जो उम्मीदवार योग्यता क्रम सूची में अर्हता प्राप्त करते हैं परन्तु जिनका चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण का परीक्षाफल लम्बित है, उनको अस्थायी संस्तुति दी जाएगी ।

15. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षा का परिणाम संप्रेषित करने का रूप तथा प्रकार का निर्णय आयोग द्वारा उनके विवेक से किया जाएगा तथा आयोग परिणाम के संबंध में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

16. उम्मीदवार को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक विकारों से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कार्यों के निष्पादन में व्यवधान आने की संभावना न रहे सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्धारित ऐसी चिकित्सीय जांच के बाद जो उम्मीदवार इन उपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। उनको केओसुब परिपत्र संख्या (145) दिनांक 28.01.2009 में बताए अनुसार वर्ष 2018(अगस्त,2019 तक मान्य होना चाहिए) के दौरान शेष-। चिकित्सा श्रेणी में होना चाहिए।

17. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा गृह मंत्रालय/महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रशिक्षण और चिकित्सा जांच के लिए सहायक क्रमाण्डेंट (जीडी/कार्यकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए ऑफर भेजने हेतु भेजी जाएगी। चयनित उम्मीदवार बल के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे।

18. अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता अथवा यात्रा खर्च परीक्षा के किसी भी स्तर पर देय नहीं होगा।

(हरीश चन्द्र राय)  
भारत सरकार के अवर सचिव

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेन्ट के पद के लिए  
सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण तथा लिखित परीक्षा  
की योजना ।

(I) लिखित परीक्षा की योजना:-

लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित दो प्रश्न पत्र होंगे ।

प्रश्न पत्र I : सामान्य योग्यता, बुद्धिमता और व्यावसायिक कुशलता ।

(300 अंक )(150 प्रश्न )(2.30 घण्टे)

यह प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प प्रश्न) का होगा । इसमें प्रश्न पत्र हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होंगे । प्रश्न पत्र निम्नलिखित दो भागों में होगा ।

भाग (क) : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमता (150 अंक )  
(75 प्रश्न)

भाग (ख) : व्यावसायिक कुशलता (150 अंक )  
(75 प्रश्न)

प्रश्न पत्र 02 निबन्ध, संक्षेपण लेखन एवं अपठित गद्यांश (100 अंक )  
(2 घण्टे)

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों को निबन्ध अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने का विकल्प होगा किन्तु संक्षेपण लेखन एवं अपठित गद्यांश केवल अंग्रेजी माध्यम में ही लिखने की अनुमति होगी ।

टिप्पणी-1: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रश्न पत्र-11 के उत्तर विभिन्न संघटकों के लिए, जैसा कि उपर वर्णन किया गया है, आयोग द्वारा अनुमत-माध्यम में ही लिखें प्रश्न पत्र अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने पर उसका आंकलन नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी-2: उम्मीदवारों को निबन्ध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट करना होगा । यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबन्ध लिखा है तो उसके निबन्ध का आंकलन नहीं किया जायेगा ।

टिप्पणी-3: प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे जो आयोग द्वारा निश्चित किये जायेंगे ।

टिप्पणी-4: आयोग लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगा । के.ओ.सुब द्वारा उन अभ्यर्थियों की पी0ई0टी0 (शारीरिक क्षमता परीक्षा) आयोजित की जाएगी और केवल उन अभ्यर्थियों जिन्होंने पी0ई0टी0 परीक्षा पास कर ली है का एम0ई0टी0 (चिकित्सा परीक्षण) किया जायेगा ।



टिप्पणी-5: जो अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा और शारीरिक क्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें आयोग द्वारा आयोजित किए गए साक्षात्कार में शामिल होना होगा ।

यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और आगे कार्यवाही के लिए केओसुब प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी ।

(11) लिखित पत्रों के पाठ्यविवरण :-

प्रश्न पत्र I: सामान्य योग्यता, बुद्धिमता एवं व्यावसायिक कुशलता ।

भाग-क सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमता:- प्रश्न पत्र में बहु-विकल्प सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे ।

1. सामान्य मानसिक योग्यता

यह प्रश्न तार्किक विवेचना, मात्रात्मक अभिरूचि सहित संख्यात्मक योग्यता एवं आंकड़ा निर्वचन के परीक्षण हेतु किए जाएंगे ।

2. सामान्य विज्ञान

ये प्रश्न सामान्य विज्ञान सचेतना वैज्ञानिक प्रकृति, नये क्षेत्रों के महत्व जैसे सूचना प्राद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण की समक्ष (परिज्ञान) एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार किया जाएगा ।

3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सम-समायिक घटनाएं

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सम-समायिक घटनाओं से संबंधित व्यापक क्षेत्रों जैसे संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, खेल, शासन, सामाजिक तथा विकासात्मक पहलुओं, उद्योग, व्यवसाय भूमंडलीकरण तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव की सचेतना के प्रति परीक्षण किया जा सकेगा ।

4. सामान्य ज्ञान

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान तथा उससे जुड़े संबद्ध प्रश्न जैसे भारत का इतिहास, भारत और विश्व भूगोल के साथ-साथ भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था विषयों की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा ।

भाग (ख): व्यावसायिक कुशलता ।

यह परीक्षा अभ्यर्थियों की व्यावसायिक कुशलता जो केओसुब की प्रचालात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो और व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करती है का परीक्षण करने के लिए तैयार की गई है ।

1. केओसुब संबंधित व्यावसायिक योग्यता ।

- औद्योगिक सुरक्षा

- औद्योगिक संरक्षा और अग्निशमन
  - आपदा प्रबंधन
  - विमानन सुरक्षा
  - आसूचना और अपराध - जासूसी, विध्वंस, विद्रोही, गतिविधि
  - परिधि सुरक्षा
  - महत्वपूर्ण संस्थापनो, डी0 ए0 ई0, मे मेट्रो रेल, अंतरिक्ष संस्थानों की सुरक्षा
  - तकनीकी उपकरणों का प्रयोग अलार्म , पता लगाना, घुसपैठ, आवागमन नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा
  - बम निरोधक
  - वी आई पी सुरक्षा
  - आंतरिक सुरक्षा और चुनाव ड्यूटी
2. कानून
- सीआर.पी.सी. (खोजना, जब्त करना, और गैर कानूनी सभा)
  - आई.पी.सी. (चोरी, उठाईगीरी, धोखा धड़ी, ध्रष्टाचार आदि )
  - साक्ष्य अधिनियम (खोजना, साक्ष्य एकत्र और जब्त करना )
  - श्रमिक कानून (औद्योगिक विवाद अधिनियम , कार्मिक प्रतिपूर्ति अधिनियम ई.पी.एफ. अधिनियम )
  - अन्य अपराधिक गतिविधियां
  - मानवाधिकार
3. कम्प्यूटर दक्षता और जागरूकता
- कम्प्यूटर सुरक्षा
  - प्रारंभिक कम्प्यूटर प्रचालन
  - प्रारंभिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
- 4 सेवा नियम और एच आर मामले
- सी.सी.ए. नियम
  - केओसुब अधिनियम और नियम
  - केओसुब से संबंधित एचआर कार्य

प्रश्न पत्र II: निबंध, अपठित गद्यांश और संक्षेपण लेखन

यह प्रश्न पत्र दिए गये निबंध के विषय पर उम्मीदवारों के विचारों को सुसंगत, क्रमबद्ध, संक्षिप्त, समझने योग्य तथा सुबोध तरीके से प्रभावी तथा वर्तनी त्रुटि रहित, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा में प्रस्तुत कर पाने की योग्यता का परीक्षण करेगा ।

इसके अतिरिक्त इस प्रश्न पत्र से उम्मीदवार की संक्षेपण लेखन (प्रेसी राईटिंग) तथा अपठित गद्यांश के लिए दिए गए पैराग्राफ को समझने तथा संक्षेपण उद्धरण का सार लिखने की निपुणता और अपठित गद्यांश उद्धरण में लघु प्रश्नों के जवाब देने की योग्यता का परीक्षण भी किया जा सकेगा ।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2019 के माध्यम से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेंट्स के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों हेतु शारीरिक और चिकित्सा मानदंड

(1) शारीरिक मानदण्ड : सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

	पुरुष	महिला
लंबाई	165 से.मी. (सामान्य एवं अनुसूचित जाति)	157 से.मी. (सामान्य एवं अनुसूचित जाति)
	162.5 सेमी, (अनुसूचित जनजाति)	154 सेमी, (अनुसूचित जनजाति)
सीना (बिना फुलाए)	81 से.मी. (कम से कम 5 से.मी. फुलाव के साथ)	लागू नहीं
वजन	लंबाई के अनुरूप (सभी उम्मीदवारों के लिए)	लंबाई के अनुरूप (सभी उम्मीदवारों के लिए)
चिकित्सा श्रेणी	शेप-1	शेप-1

इसके अलावा, वजन परिशिष्ट-II (ख) में दर्शाई गई लंबाई और वजन आयु के अनुसार होना चाहिए ।

(2) चिकित्सा मानदण्ड :

(क) आंखों की दृष्टि:

दूर दृष्टि		निकट दृष्टि	
अच्छी आंख (सही की गई दृष्टि)	खराब आंख (सही की गई दृष्टि)	अच्छी आंख (सही की गई दृष्टि)	खराब आंख (सही की गई दृष्टि)
6/6 अथवा 6/9	6/12 अथवा 6/9	जे-I	जे-II

उम्मीदवार में किसी भी प्रकार का भैगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंगदृष्टि होनी चाहिए । उम्मीदवार की इशियारा परीक्षण और एडिज-ग्रीन-लैटर्न परीक्षण द्वारा रंगदृष्टि की जांच की जाएगी । आंखों में दीप्ति, स्पष्टता के साथ-साथ कोई भी दोष/बीमारी नहीं होनी चाहिए । आंखों की पुतलियाँ पूरी तरह घुमानी हों और सभी दिशाओं में घूमने को स्वतंत्र हों । निकटदृष्टि के मामले में नेत्रबुध्द (फण्डस) परीक्षा की जायेगी और परिणाम रिकार्ड किए जाएंगे । कांटेक्ट लैन्स या लेजर शल्य चिकित्सा की अनुमति नहीं है ।

(ख) कैरिंग एंगल

कैरिंग एंगल पुरुषों के लिए 15 डिग्री और महिलाओं के लिए 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ग) कान

(i) उम्मीदवार में किसी प्रकार की बधिरता नहीं होनी चाहिए या स्थायी रूप से कान बहता न हो ।

(ii) उम्मीदवार में कोई अन्य दशा (जन्मजात या उपार्जित) जैसे - मियेटस, एक्सोस्टोसिस, नियोप्लाज्म जो कर्णमार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती हो और वृत्त या प्रत्यावर्ती कर्णशूल, कर्णस्वेण तथा भ्रमि नहीं होने चाहिए ।

(घ) नाक उम्मीदवार में डी एन एस, शोषीनाशा शोध, यक्ष्मकीय व्रण, जीर्ण वायुविवर नहीं होनी चाहिए ।

(ङ) ग्रीवा उम्मीदवार में विस्तृत लसिका पर्व, थायरायड या अन्य ग्रीवा उत्सेध (सूजन) नहीं होना चाहिए जो ग्रीवा को पूर्णरूपेण घुमाने में अक्षम या मेरूदण्ड या ग्रैव के शरूका की बीमारियों का कोई प्रमाण देते हों ।

(च) दंत उम्मीदवार में सुचारू चर्वन के लिए समुचित संख्या में पूरे दंत अवश्य होने चाहिए । उम्मीदवार में गंभीर पायरिया न हो ।

(छ) रतिज रोग उम्मीदवार में नैदानिक बीडी के सक्रिय चिन्ह नहीं होने चाहिए ।

(ज) चिरकालिक त्वचा रोग उम्मीदवार में चिरकालिक त्वचा रोग जैसे कुष्ठ, चिरकारी त्वचाशोथ, सघन तुषामशल्कन वर्सिकालर, सोरायसिस, एसएलई आदि नहीं होने चाहिए

(3) सामान्य मानदण्ड :

(क) शब्दों का उच्चारण दोष रहित अर्थात् हकलाहट के बिना होना चाहिए ।

(ख) उम्मीदवार में चिरकालिक रोग जैसे क्षय, किसी प्रकार का सन्धि शोध, उच्च रक्त दाब, मधुमेह, श्वासनिक दमा, किसी प्रकार के हृदय के लक्षण नहीं होने चाहिए ।

(ग) उम्मीदवार के शरीर में कहीं कोई ग्रन्थिल तथ प्रत्यक्ष सूजन दृष्टिगोचर नहीं होनी चाहिए ।

(घ) वक्ष सुगठित होना चाहिए, किसी प्रकार की असामान्यता अर्थात् रिकेटी गुटिका - माला दोष सहित चपटा वक्ष, कपोत वक्ष नहीं होना चाहिए । दिल एवं फेफड़े स्वस्थ होने चाहिए ।

(ङ) अंग, हस्त तथा पाद सुगठित तथा सुविकसित होने चाहिए तथा सभी संधियों की गति श्रेष्ठ होनी चाहिए ।

(च) अस्थि संबंधी कोई पुराना/कुसंयोजित अस्थिभंग नहीं होना चाहिए ।

(छ) सभी संधियों की गति अबाध तथा श्रेष्ठ होनी चाहिए ।

(ज) पाद तथा पाद के अंगूठे सुगठित होने चाहिए ।

- (झ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष नहीं होना चाहिए ।
  - (ञ) किसी पुराने तीव्र या चिरकालिक रोग के संकेत, जिससे दोषयुक्त गठन का पता चले, नहीं होने चाहिए ।
  - (ट) उम्मीदवार को जनन मूत्र पथ का कोई रोग न हो ।
  - (ठ) उम्मीदवार को वंक्षण, वृषणेकोशीय सूजन या किसी प्रकार हर्निया न हो ।
  - (ड) (केवल पुरुषों के लिए) दोनों वृषण वृषणकोश में हैं तथा सामान्य आकार के हैं।
  - (ढ) उम्मीदवार के संघट्ट जानु, चपटे पाद, अतस्फीत शिराएं नहीं होनी चाहिए ।
  - (ण) उनका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो तथा ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो ।
- (4) उम्मीदवार हृदयक्षिप्रता (नाड़ी दर 100 प्रति मिनट से अधिक) या हृदयमन्दता (नाड़ी दर 50 प्रति मिनट से कम) से पीड़ित न हो ।
- (5) उम्मीदवार हर्निया, अर्श, कॉन्डिलोमेटा मलाशय भ्रंश से पीड़ित न हो

**स्पष्टीकरण:-**

टिप्पणी:- 1. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम रायफल में राजपत्रितों एवं अराजपत्रितों की भर्ती हेतु मेडिकल परीक्षा, गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित समेकित दिशा निर्देश दिनांक 20.05.2015 के अनुसार आयोजित किया जायेगा ।

2. उम्मीदवार को चिकित्सा मानदण्ड में "योग्य" या "अयोग्य" घोषित किया जायेगा। जो उम्मीदवार चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में "अयोग्य" घोषित किये जाते हैं उन्हें अपील करने पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा "समीक्षा चिकित्सा बोर्ड " के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

विभिन्न आयु वर्गों तथा लंबाई के लिए पुरुष औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में

लंबाई से.मी.	आयु वर्षों में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.7-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	49.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5-64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.5-70.5
172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5
176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59-72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86
188	65-79	67.5-82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

विभिन्न आयु वर्गों तथा लंबाई के लिए महिला औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में

लंबाई से.मी.	आयु वर्षों में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5
158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-54.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

- इस सारणी में केवल कुछ लंबाई (से0मी0) के संबंध में संगत शारीरिक वजन दिए गए हैं । बीच की लंबाई के संबंध में शारीरिक वजन की गणना के लिए "औसत" का सिद्धान्त प्रयुक्त किया जा सकता है ।
- सारणीबद्ध लंबाई से बाहर के औसत वजन की गणना के लिए लंबाई में प्रत्येक एक से.मी. की वृद्धि या कमी के लिए 0.71 कि.ग्रा. क्रमशः बढ़ाया या घटाया जा सकता है ।

\*\*\*\*\*